

UPJEE (Polytechnic) – 2024
Online (1st Phase) Main Counselling Schedule (1st to 3rd Round)
Pharmacy Course
FOR QUALIFIED CANDIDATES OF UP STATE

Sl.No.	Counseling Activities	Date
ROUND-01		
1.	1st Round Choice Filling for QUALIFIED candidates of UP state (unlimited choices may be filled)	22/10/2024 to 24/10/2024
2.	1st Round seat allotment	25/10/2024
3.	Online Fee Deposit for Seat Acceptance cum Counselling fee (only for Seat Alloted candidates).	26/10/2024 to 29/10/2024 (Up to 11:59 PM)
4.	1st Round Document Verification at the district Help Centers (only for Seat Alloted candidates).	26/10/2024 to 29/10/2024 (Up to 5:00 PM) 27/10/2024 Sunday Closed
5.	1st Round Admitted Seat Withdrawal	29/10/2024
ROUND-02		
6.	2nd Round Choice Filling for QUALIFIED candidates of UP state (unlimited choices may be filled).	30/10/2024 to 03/11/2024
7.	2nd Round of seat allotment.	04/11/2024
8.	Online Fee Deposit for Seat Acceptance cum Counselling fee (only for Seat Alloted candidates).	05/11/2024 to 07/11/2024 (Up to 11:59 PM)
9.	2nd Round Document Verification at the district Help Centers (only for Seat Alloted candidates).	05/11/2024 to 07/11/2024 (Up to 5:00 PM)
10.	2 nd Round Admitted Seat Withdrawal	07/11/2024
ROUND-03		
11.	3rd Round Choice Filling for QUALIFIED candidates of UP state (unlimited choices may be filled).	08/11/2024 to 10/11/2024
12.	3rd Round of seat allotment.	11/11/2024
13.	Online Fee Deposit for Seat Acceptance cum Counselling fee (only for Seat Alloted candidates).	12/11/2024 to 14/11/2024 (up to 11:59 PM Midnight)
14.	3rd Round Document Verification at the district Help Centers (only for Seat Alloted candidates).	12/11/2024 to 14/11/2024 (up to 5:00 PM)
15.	1st to 3rd Round Admitted Seat Withdrawal	14/11/2024
Commencement of classes for Session 2024-25		18/11/2024

- काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लागिन आईडी0 एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल <https://jeecup.admissions.nic.in> पर लॉगिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी0 अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध Forget Password का चयन कर पासवर्ड Reset कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
- मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरण ऑनलाइन होंगे, जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के मूल निवासी है, किन्तु उन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, की सन्तानें प्रतिभाग कर सकेगी।
- मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरणों में संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, सीट एक्सेप्टेन्स एवं काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने, काउन्सिलिंग चरणों हेतु अभ्यर्थन आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियम प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से Withdrawal, संस्था में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/2023-16-3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 के प्राविधानानुसार तथा शिक्षण शुल्क जमा करने की व्यवस्था का निर्धारण शासनादेश संख्या-99/2024/1919/2024/16-3099/12/2019 दिनांक 04.09.2024 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।

AM

m

4. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरणों में अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी।
5. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरणों द्वारा सत्र 2024-25 में राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रचलित फार्मसी पाठ्यक्रम में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराते हुए अवशेष शिक्षण शुल्क आवंटित संस्था में निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय जमा करना होगा।
6. अभ्यर्थी मुख्य काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट **Withdrawal** की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेप्टेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य काउन्सिलिंग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट एक्सेप्टेन्स फीस जमा कर दी है, किन्तु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी, अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सीट एक्सेप्टेन्स फीस वापस नहीं होगी।
7. काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में **Withdrawal** विकल्प चयन करने की स्थिति में सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रु0 3000/- को अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान किया गया है, उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफण्ड किया जायेगा एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
8. अभ्यर्थी जो मुख्य काउन्सिलिंग के प्रथम चरण में सीट एक्सेप्टेन्स एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/- जमा कर चुके हैं किन्तु निर्धारित तिथियों में सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित नहीं करा पाये हैं, द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग हेतु अपात्र होंगे, ऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के तृतीय चरण में पुनः प्रतिभाग कर सकेंगे। इसी प्रकार उक्त श्रेणी के द्वितीय चरण के अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ चरण तथा तृतीय चरण के अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के पाँचवें चरण में पुनः प्रतिभाग कर सकेंगे।
9. काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों से शासन/फीस एवं प्रवेश नियमन समिति, उ0प्र0 द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
10. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, जाति, आय निवास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में शिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में उसे प्रवेश प्रदान कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. मुख्य काउन्सिलिंग के तीनों चरणों से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की एन0आई0सी0 के पोर्टल पर दिनांक 14.11.2024 तक पी0आई0 (Participating Institute) रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य होगी, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक पी0आई0 (Participating Institute) रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, तो अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सीट एक्सेप्टेन्स फीस वापस नहीं होगी।
12. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीन चरणों द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में अन्तिम तिथि 14.11.2024 तक अनिवार्य रूप में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

AW

92

Online (2nd Phase) Special Counselling Schedule-2024 (4th to 5th Round)

Pharmacy Course

(QUALIFIED Candidates of Uttar Pradesh and OTHER STATE)

Sl.N.	Counseling Activities	Date
ROUND-04		
1.	4th Round Choice Filling for QUALIFIED candidates of UP & Other state (unlimited choices may be filled)	16/11/2024 to 18/11/2024
2.	4th Round seat allotment	19/11/2024
3.	Online Fee Deposit for Seat Acceptance cum Counselling fee (only for Seat Alloted candidates).	20/11/2024 to 22/11/2024 (up to 11:59 PM Midnight)
4.	4th Round Document Verification at the district Help Centers (only for Seat Alloted candidates).	20/11/2024 to 22/11/2024 (up to 5:00 PM)
5.	4 th Round Admitted Seat Withdrawal	22/11/2024
ROUND-05		
6.	5th Round Choice Filling for QUALIFIED candidates of UP & Other state (unlimited choices may be filled)	23/11/2024 to 25/11/2024
7.	5th Round seat allotment	26/11/2024
8.	Online Fee Deposit for Seat Acceptance cum Counselling fee (only for Seat Alloted candidates).	27/11/2024 to 29/11/2024 (up to 11:59 PM Midnight)
9.	5th Round Document Verification at the district Help Centers (only for Seat Alloted candidates).	27/11/2024 to 29/11/2024 (up to 5:00 PM)
11.	4th to 5th Round Admitted Seat Withdrawal	29/11/2024

- काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लागिन आईडी0 एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल <https://jeecup.admissions.nic.in> पर लॉगिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी0 अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध **Forget Password** का चयन कर पासवर्ड **Reset** कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
- विशेष काउन्सिलिंग के उक्त दोनों चरण ऑनलाइन होंगे, जिसमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग हेतु अर्ह उत्तर प्रदेश राज्य के चिन्हित अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रतिभाग कर सकेंगे।
- विशेष काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरणों में संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, सीट एक्सेप्टेन्स एवं काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने, काउन्सिलिंग चरणों हेतु अभ्यर्थन आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियम प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से **Withdrawal**, संस्था में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/2023-16-3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 के प्राविधानानुसार तथा शिक्षण शुल्क जमा करने की व्यवस्था का निर्धारण शासनादेश संख्या-99/2024/1919/2024/16-3099/12/2019 दिनांक 04.09.2024 में निहित प्राविधानुसार किया जायेगा।
- विशेष काउन्सिलिंग के उक्त दोनों चरणों में अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी।
- विशेष काउन्सिलिंग के उक्त दोनों चरणों द्वारा सत्र 2024-25 में राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रचलित फार्मैसी पाठ्यक्रम में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराते हुए अवशेष शिक्षण शुल्क आवंटित संस्था में निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय जमा करना होगा।
- अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग के चौथे एवं पाँचवें चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट **Withdrawal** की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेप्टेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विशेष काउन्सिलिंग के चौथे एवं पाँचवें चरण में सीट एक्सेप्टेन्स फीस जमा कर दी है, किन्तु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट

MAH

AL

काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी, अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सीट एक्सेप्टेन्स फीस वापस नहीं होगी।

7. काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में **Withdrawal** विकल्प चयन करने की स्थिति में सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रु0 3000/- को अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान किया गया है, उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफण्ड किया जायेगा एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
8. काउन्सिलिंग के चौथे एवं पाँचवें चरण द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों से शासन/फीस एवं प्रवेश नियमन समिति, उ0प्र0 द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
9. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (**Provisional Admission letter**) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, जाति, आय निवास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में शिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में उसे प्रवेश प्रदान कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
10. विशेष काउन्सिलिंग के दोनों चरणों से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की एन0आई0सी0 के पोर्टल पर दिनांक 28.11.2024 तक पी0आई0 (**Participating Institute**) रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य होगी, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक पी0आई0 (**Participating Institute**) रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, तो अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सीट एक्सेप्टेन्स फीस वापस नहीं होगी।
11. विशेष काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में अन्तिम तिथि 29.11.2024 तक अनिवार्य रूप में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

h

AM

92